औपनिवेशिक काल में भूमि व्यवस्था एवं किसान

अली शाहनवाज

सारांश—भारत की पुरानी भूमि व्यवस्था पर अंग्रेजों ने ही पहली गहरी चोट की। उन्हें खासकर तीन बातों से जमींदारी प्रथा लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी जमीन के बंदोबस्त की अंग्रेजी न्यायिक एवं आर्थिक धारणाएँ ही अपना सकती थी। इंगलैण्ड का आर्थिक अतीत भारत से मूलतः भिन्न था। अंग्रेजी जमींदारी प्रथा जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा और भावना में जन्मी और फली—फूली थी, जिसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी। दो प्रशासकीय दृष्टि से ब्रिटिश शासन के शुरू के दिनों में, लाखों छोटे किसानों की अपेक्षा कुछेक हजार जमींदारों से लगान की वसूली आसान और आर्थिक दृष्टि से लाभजनक थी। एक अन्य प्रकार से भी एक दूसरे किस्म के जमींदार वर्ग का जन्म हुआ छोटे सरदारों के शुल्क और नजराने को लगान माना जाने लगा और उनके राजनीतिक, सेना संबंधी और प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जमींदार वर्ग के सृजन में तीसरे तरीके का भी इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को बहु—मूल्य सैनिक या अन्यान्य सेवाएँ प्रदान कीं, उन्हें जमीन का अनुदान देकर जमींदार बनाया गया।

अंग्रेजी सरकार ने नयी राजस्व व्यवस्था स्थापित की। नयी व्यवस्था में फसल अच्छी हो या बुरी किसान को हर साल निश्चित धनराशि के रूप में सरकार को लगान देना ही पड़ता था। भारत में सिंचाई की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वर्षा नहीं होने पर या कम होने पर फसल की बर्बादी की अधिक संभावना रहती थी। सामान्य औसत वर्ष में भी किसान को अपनी फसल के लिए हिन्दुस्तान या बाहर के बाजार में बहुत कम कीमत मिल पाती थी। फलस्वरूप, कालक्रम से सरकारी की सालाना माँग की पूर्ति करना किसान के लिए असंभव हो गया, और वह लगातार गरीबी और कर्ज के भार से दबता गया। अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी भूमिकर व्यवस्था कृषक समुदाय की ऋणगस्तता और गरीबी का मुख्य कारण सिद्ध हुई।